न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 239 / 2023

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1. जोधाराम पुत्र मालाराम 2. खरताराम पुत्र मालाराम 3. रूपाराम पुत्र मालाराम 4. जगराम पुत्र अचलाराम 5. पुरखाराम पुत्र अचलाराम 6. पुराराम पुत्र अचलाराम 7. हुकमाराम पुत्र अचलाराम जातियान जाट निवासी सड़ा झून्ड तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. पोकराराम पुत्र खेराजराम 2. रामाराम पुत्र खेराजराम 3. करनाराम पुत्र गोमाराम 4. जेठाराम पुत्र गोमाराम 5. ठाकराराम पुत्र गोमाराम जातियान जाट निवासी सडा झून्ड तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 6. जालाराम पुत्र हड़ूमानराम 7. रूगाराम पुत्र हड़ूमानराम 8. लेहरोंदेवी पत्नि हड़ूमानराम 9. हेमाराम पुत्र हड़ूमानराम 10. हड़मानराम पुत्र जीयाराम 11. जेठाराम पुत्र जीयाराम 12. मगाराम पुत्र जीयाराम जातियान जाट निवासी मेगवालों की ढाणी, नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 13. भैराराम पुत्र लिछमणाराम जाति मेघवाल निवासी मेगवालों की ढाणी, नेहरों की ढाणी, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 14. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

1. श्री भंवरलाल सारण , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:10 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 31.01.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा के ग्राम सड़ा झून्ड के खेत खसरा संख्या 40 रकबा 0.0243 हैक्टेयर व

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

...सरा संख्या 41 रकबा 27.2067 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा के ग्राम सड़ा झून्ड के खेत खसरा संख्या 40 रकबा 0.0243 हैक्टेयर व खसरा संख्या 41 रकबा 27.2067 हैक्टेयर हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा ग्राम सड़ा झून्ड के खेत खसरा संख्या 40 रकबा 0.0243 हैक्टेयर व खसरा संख्या 41 रकबा 27.2067 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा ग्राम सड़ा झून्ड के खेत खसरा संख्या 40 रकबा 0.0243 हैक्टेयर व खसरा संख्या 41 रकबा 27.2067 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा ग्राम सड़ा झून्ड के खेत खसरा संख्या 40 रकबा 0.0243 हैक्टेयर व खसरा संख्या 41 रकबा 27.2067 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्राथीगर्ण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो विप्रार्थीगण उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी हालत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:10 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा ग्राम सड़ा झून्ड के खेत खसरा संख्या 40 रकबा 0.0243 हैक्टेयर व खसरा संख्या 41

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

कब्ज़ा 27.2067 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 31.01.2024को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:10 IST
Reason: SelfAttested